न्याय अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2021/157

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री सुमित जैन

श्री महेन्द्र सिंह चौहान 1, 4, 5

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

कैलाश दान बनाम दरियाकंवर वगैरह(157/2021)

5/6/23 प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2 (अ) जाप्ता दीवानी सपठित धारा 3 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट) व प्रार्थना पत्र वास्ते प्रारम्भिक आपत्तियाँ अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, 04,5, 7 से 09 को दिनांक 17.05.2023 को प्रारम्भिक आपत्तियाँ अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. एवं प्रार्थना पत्र कन्टे. पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2 (अ) जाप्ता दीवानी सपठित धारा 3 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट) व प्रार्थना पत्र वास्ते प्रारम्भिक आपत्तियाँ अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का निस्तारण एक साथ करना उचित समझते है।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 में विवादित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये गये थे, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 दरियावकंवर द्वारा प्रार्थी को उसके हक-हिस्से की आराजी से महरूम करने की बदनियत से उक्त आदेश की पालना नहीं कराई गयी एवं मान्नीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त आराजी को दिनांक 04.12.2021 को सुभेर चांगल पुत्र रामदेव चांगल को बैचान कर दिया गया एवं अन्य आराजी का भी बेचान किये जाने की कुचेष्टा की रही है जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा उप-पंजीयक कार्यालय, किशनगढ़ को दी जा चुकी थी किन्तु विपक्षीगण को नाजायक लाभ पहुँचाते हुए मान्नीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध कर दिया गया। अप्रार्थीगण को मान्नीय न्यायालय के आदेश की अवमानना बाबत् कठोरतम दण्ड से दंडित नहीं किया गया तो आमजन में न्यायालय के आदेश की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी बल्कि आमजन कानून को अपने हाथ में लेने का दु:साहस करते रहेगें जिससे ना केवल अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी बल्कि अनावश्यक मुकदमें बाजी भी बढ़ जाएगी जिससे न्याय की मर्यादा को आघात पहुँचेगा। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र वास्ते प्रारम्भिक आपत्तियाँ अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2 (अ) जाप्ता दीवानी सपठित धारा 3 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट) काल्पनिक संभावना के आधार पर यह अवमानना प्रार्थना प्रथम दृष्टया ही प्रीमैचोर होने से खारिज किया जाना तथा मूल अपील जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र पारित किया गया था का निस्तारण हो जाने खारिज किये जाने को मुख्य आधार बताया है।प्रार्थी द्वारा कन्टे. प्रार्थना पत्र में उक्त आराजी को दिनांक 04.12.2021 को समेुर चांगल पुत्र रामदेव चांगल को बेचान अंकित गया है जो टंकण त्रुटि के कारण दिनांक 04.12.2020 के स्थान पर दिनांक 04.12.2021 अंकित हो गया है। इस प्रकार कन्टे. प्रार्थना पत्र प्रीमैचोर नहीं है तथा स्थगन आदेश की अवमानना तो अप्रार्थीगण ने की इसलिए दंडित किया जाना न्यायहित में उचित है भले ही मूल अपील का निस्तारण कर दिया गया हो। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है की प्रार्थना पत्र वास्ते प्रारम्भिक आपत्तियाँ अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को खारिज किया जावें तथा प्रार्थना पत्र (आदेश 39 नियम 2 (अ) जाप्ता दीवानी सपठित धारा 3 कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट) को स्वीकार किया जाकर मान्नीय न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 की पालना नहीं करने से उन्हे दण्डित किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

157/2021/अ.अ.प्रा.

कैलाशदान वि/स दरियावकंवर

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

तारीख 2021/157

पेशी श्री सुमित जैन

श्री ... चौहान

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01, 4, 5, 7, 8, 09 (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जानबूझकर मनमाने ढंग से एवं विधि विरूद्ध रूप से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 13 को पक्षकार बनाते हुए विधिक प्रावधानो के विपरीत अवमानना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यहॉं पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त अवमानना याचिका के क्रेता पक्ष मूल अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है। क्रेता मूल अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं होने के बावजूद क्रेता के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के विपरीत अवमानना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट संख्या 2से 13 द्वारा किसी भी प्रकार से न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गई है। इस आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 13 माननीय न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.11.2019 से विधिनुसार पावंद एवं बाध्यकारी नहीं है। अवमानना प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 05 में अपीलांट ने अप्रार्थी संख्या 01 दरियावकंवर द्वारा उक्त आराजी को दिनांक 04.12.2021 को सुमेर चांगल पुत्र रामदेव चांगल को बेचान करने के कथन अंकित किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 दरियावकंवर द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 04.12.2021 को करवाने से करीब 4–5 महिने पहले ही मनमाने ढंग से तैयार की गयी काल्पनिक संभावना के आधार पर यह अवमानना प्रार्थना प्रथम दृष्टया ही प्रीमैचोर होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस सुनकर इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल अपील को दिनांक 08.12.2022 को निर्णित कर दिया गया है।अपीलांट की मूल अपील को दिनांक 08.12.2022 को निर्णय किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलांट की मूल अपील आज दिनांक को अस्तित्व में नहीं है। अपीलांट को मूल अपील के निस्तारण के पश्चात विधिनुसार अवमानना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। अवमानना प्रार्थना पत्र मे किसी भी प्रकार की आगामी कार्यवाही किये जाने से पूर्व इस प्रारम्भिक आपत्तियों प्रार्थना पत्र विधिनुसार निस्तारण किये जाने की कृपा करावे। माननीय न्यायालय से निवेदन है कि उक्त वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजो के आधार पर अपीलांट का अवमानना प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ह विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने के आधार पर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्रो पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्रों व न्यायालय हाजा के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 का कथन मुख्य कथन है कि प्रार्थना पत्र में क्रेता पक्ष को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से अवमनना प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें और इसके अतिरिक्त कथन किया गया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा किसी भी प्रकार से अवमानना नहीं की गई तथा प्रार्थी के द्वारा जिस अपील में स्थगन आदेश पारित किये गये थे उक्त पत्रावली का अंतिम निस्तारण किया जा चुका है। इसलिए प्रस्तुत कन्टे. प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 29.11.2019 की जानकारी होने के बाजवूद भी आदेश की अवमानना की है इसलिए उनको न्यायहित में दंण्डित किया जावे। प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के प्रस्तुत कन्टे. प्रार्थना पत्र में क्रेता सुमेर चांगल पुत्र रामदेव चांगल को पक्षकार संयोजित नहीं किया है तथा आदेश दिनांक 29.11.2019 की अवमानना

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

– – – लगातार–

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
2021/157 श्री सुमित जैन	श्री	

कन्टे० प्रा०पत्र | कैलाशराम प/ज परिमाकर

प्रार्थी 2,3,6,10,11

कृष्णाराम व अन्य 1,4,5,7,8,9

किये बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में तथा सम्बन्धित अपील जिसमें अपील का निस्तारण दिनांक 08.12.2022 निस्तारण कर दिया गया है एवं प्रार्थना पत्र में समस्त पक्षकारों क़ो पक्षक़ार संयोजित नहीं किये जाने से खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । कन्टे. प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने से अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियॉ अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर